प्रतिबन्ध
(संशोधित विन्यास मानचित्र दिनांक 07.01.2015)

| | |
|---|---|
| 1 | ग्राम सभा दिनांक 18.07.2016 के अनुसार ग्राम पंचायत विकास की अवस्थिति दिनांक 22.12.2012 मसूदा 2 : संशोधित विन्यास मानचित्र के सम्बन्धित अवस्थित सीमा पर के अवशेष प्रस्तुत करते होंगे, अन्यथा संशोधित मानचित्र अस्वीकृत किया जाया जाएगा। |
| 2 | अनुसूचित ग्राम दिनांक 27.07.2016 के अनुसार उपरोक्त अधिसूचित भूमि के ग्राम के दिनांक 24.12.2012 सं. ग्रा. 02.41.04.00, दिनांक 24.08.2016 सं. ग्रा. 02.41.04.00 तथा दिनांक 04.12.2015 को ग्रा. 02.41.04.00 अवशेष जाना अथवा होना अन्यथा विन्यास मानचित्र अस्वीकृत किया जाया जाएगा। |
| 3 | पानी नदी के तरंग उत्पन्न के निर्माण की उपग्रह निर्माण की उपग्रह स्वामुद्रायोग्य उपग्रह विकासकर्ता को अवश्य उपग्रह करना होगा अन्यथा मानचित्र अस्वीकृत किया जाया जाएगा। |
| 4 | पूर्व स्वीकृत विन्यास मानचित्र में उपस्थित कोई अवशेष शामिल होंगे। |
| 5 | डी-ब्लाक के अनुसार उपरोक्त मानचित्र में भवनों के संरक्षण के परिवर्तन करने हेतु यह मानचित्र पहले पूर्व उपग्रहण सुविधाओं/अनुसूचित सुविधाओं को पश्चात निर्माण किया जाना होगा। |
| 6 | ऐसे आवासीय सुविधाओं, सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत एस-सर्वर, सीवरेज, ड्रेनेज, टेलि सेन्टर, अग्नुशमनी केन्द्र, विद्युत सब-स्टेशन इत्यादि का निर्माण सुविधाओं करना होगा। |
| 7 | आवासीय आवंटन का शेष किसी प्रकार आवंटन को आवंटित होने के पश्चात ही निर्माण्ड्ड स्वरूप विकासकर्ता की होगी। |
| 8 | विन्यास मानचित्र में उपस्थित पुलाओं पर निर्माण उपरान्त भवन मानचित्र प्रस्तिकरण की स्वीकृत करने के पश्चात किया जिया जायेगा। |
| 9 | पर्यावरण एवं अनुमति विभाग के अन्तर्गत/प्रस्तिकरण को पश्चात सुविधाओं किया जाना होगा। |
| 10 | किसी विवाद/वाद मामलों नहीं के कारण उपरान्त या राजस्वकार विवाद करने के पश्चात यदि उपस्थित को कोई भूमि बचे हमें से उपस्थित होती है तो उसे विकासक अवशेष भूमि पर पुनर्विकास विन्यास मानचित्र स्वीकृत करना होगा तथा उपरान्त पर अपने स्वयं व्यय को वसूलनीय कर में उन्हें करना होगा।
| 11 | प्रस्तिकरण द्वारा विकास कार्य, अग्नेशमिति नक्शे, सीवरी नक्शा के निर्माण हेतु व अन्य कोई देय शुल्क के भुगतान किये जाने के पश्चात विकासकर्ता अन्यथा को सकल भूमि जमा करना होगा। |
| 12 | टाउनशिप की उद्देश्य पत्र को प्रस्तिकरण के दायित्व/कार्यों में विकासकर्ता को अपने कार्य पर लक्ष्य निर्धारित करना होगा तथा इंटीग्रेटेड टाउनशिप में सम्मिलित दिन सेट की पूर्ति को उत्तरदायित्व मास्टरप्लान 2021 के अनुसार ही निर्धारित करना होगा। |
| 13 | समस्त विभागों जल-निकासी विभाग, विद्युत विभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, गवाह सरकार, जलवायु अनुमन निगम बोर्ड, एन्फोर्समेन्ट/केन्द्रीय पुन-जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश पुन-जल विभाग की अनापत्ति पत्र अवश्य करनी होगी। |
| 14 | शासनादेश सं0-1726/8-10-2011-100विविध/77 दिनांक 13.03.2015 के अनुसार ईवीए/एम.आर.एस.टी के भवनों/पुलपार तथा अनुसूचित सुविधाओं के उपस्थित नक्शा का निर्माण भू स्वामित्व अधिकार उपलब्ध होना अनिवार्य है। समय एवं के अनुसार यदि भविष्य में उपरोक्त आवश्यक विवादित समय करना है तो भवनीय समय निर्माण करना होगा। |
| 15 | विकासकर्ता टाउनशिप के उपरी भाग पर विकास कार्य कर सकेंगे जिस भाग का 1 स्वामित्व विकासकर्ता के पास में निर्माणित भाग के हस्तगत हो तथा शेष स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद की विकासकर्ता की होगी। प्राधिकरण में इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। |
| 16 | समस्तित योजना के विकास कार्यों के पश्चात्तात विकासित होने वाले व्यक्तियों के लिए ईवीए डी/ एलआईजी/एमआईजी सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। |
| 17 | टाउनशिप के अन्तर्गत समस्तित विकास अनुसूचित सुविधाओं जैसे-पुलिस चौकी, पोस्ट आफिस, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन आदि हेतु आवंटित भूमि को विकास के उपरान्त विकास प्राधिकरण के पक्ष में सम्बन्धित विभाग को निशुल्क हस्तान्तरित करना होगा। |
| 18 | योजना में वर्तित तालाब, पूजा स्थल इत्यादि को जस का तस संरक्षण में ही संरक्षित करना होगा। |
| 19 | ग्राम पंचायत भोखोरी का विकास वर्तित नक्शे पूर्व भेजे जाएगा होगा। |
| 20 | डी-ब्लाक के साथ समूह एवं सदर प्रवेशित विकास का मार्ग पर विकसित किया जाना सुनिश्चित करना होगा। |
| 21 | पारस्परिक पानी के साथ में विकासकर्ता द्वारा के लेख मानचित्र पास समूह किया गया है 4 वर्ष सम्बन्ध में बिना हस्तिक्षेप की अनुपति के मानचित्र लेख का विकास इंटीग्रेटेड होगा। |
| 22 | योजना में प्रस्तावित विकास क्षेत्रों की टोपोग्राफिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान/डिजाइन तथा डिजाइन तथा निर्माण मानकों के अनुसार पूर्ण कराने के उत्तरदायित्व विकासकर्ता द्वारा पास पास करना होगा। |
| 23 | योजना का अनुमोदन मानचित्र मानकों को हस्तान्तरित होने तक विकासकर्ता द्वारा नष्ट किया जायेगा। |
| 24 | बेस एवं का अनुमोदन करना होगा। |
| 25 | पीने हेतु पानी की व्यवस्था तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान का विकास तथा निर्माण निर्माणित मानक के अनुसार जल समाप्त तथा जल निगम के सम्बन्ध स्थापित तथा सह द्वारा विकसित किया जायेगा तथा उन्हाओं को हस्तान्तरित करना विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी। |
| 26 | योजना में विभिन्न प्रकार के सुविधाओं पर भवन के निर्माण के पूर्व प्राधिकरण के मानक से 1500 मीटरी तक भवन स्वीकृति योजना के अन्तर्गत तथा 300 मीटरी से अधिक के अन्य समस्त निर्माण के अन्तर्गत स्वीकृत/इंटीग्रेटेड होना अनिवार्य करना के पश्चात ही किया जायेगा। |
| 27 | इंटीग्रेटेड टाउनशिप हेतु जारी शासनादेश में इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकास का मानक विकासकर्ता द्वारा सुनिश्चित करना होगा। |
| 28 | इंटीग्रेटेड टाउनशिप के मास्टर प्लान विकास में उपस्थित का पि. बीड़ा मानचित्रकार कार्य किया गया गाइडलाइन, मुख्य प्रावधान, समस्तित तथा इंटरमीडिएट/एलआईजी/एमआईजी भवनों का निर्माण प्रस्तावित है। इस कार्य का भवन निर्माण प्रीमियम हेतु न्यूनतम 25 पी. सी. पीएमसी में भवनों का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
| 29 | उपरोक्त शर्तों शर्तों शर्तों का अनुपालन न करने की दशा में प्रस्तुत विन्यास मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। |

उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दिनांक 24.08.2016 के अनुपालन में प्रश्नगत विन्यास मानचित्र की वैधता अवधि पूर्व निर्धारित शर्तों के अधीन अग्रिम तीन वर्षों तक अर्थात दिनांक 22.12.2019 तक नवीनीकृत/विस्तारित की जाती है।

उपाध्यक्ष
आवासीय आयुक्त (वि०/ई०/ल०)
लखनऊ विकास प्राधिकरण

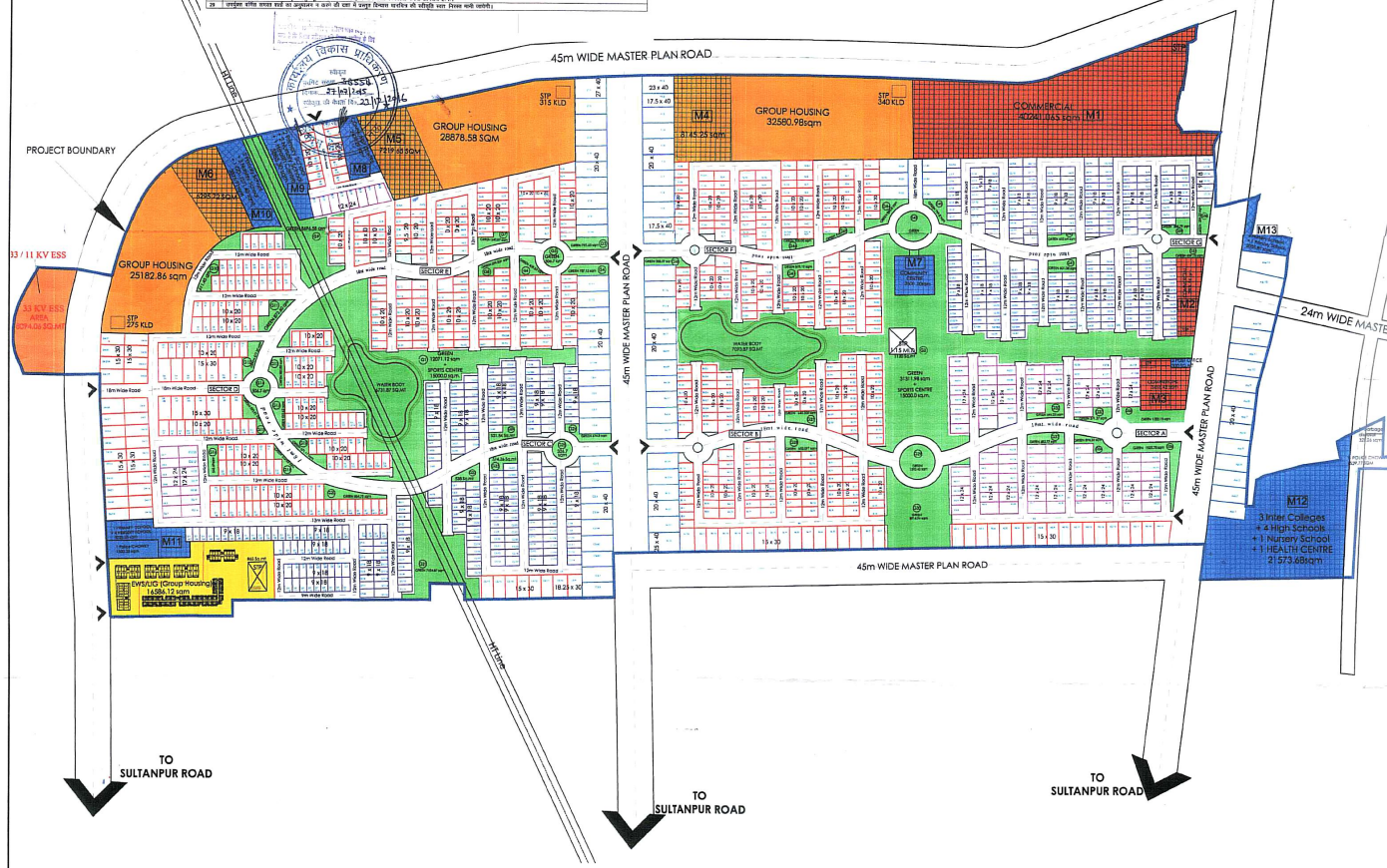


## REVISED LAYOUT PLAN

| Detail of Mortgage Land(in Acres) | |
|---|---|
| SALABLE AREA | |
| Residential | 110.99 |
| Commercial | 11.54 |
| Public & Semi Public | 9.61 |
| TOTAL | 132.14 |
| 25% of salable area | 33.04 |

NOTE - OUT OF TOTAL MORTGAGE LAND ADMEASURING 33.04 ACRES, LDA HAS ALREADY RELEASED 6.7 ACRES SALEABLE LAND VIDE LETTER NO 220/EE/HTIG/2014 DATED 23.11.2014.

| Nett Mortgage Area (in acres) | 26.34 |
|---|---|
| Mortgage Land | |
| M-1 | 9.94 |
| M-2 | 0.69 |
| M-3 | 0.90 |
| M-4 | 2.01 |
| M-5 | 1.78 |
| M-6 | 1.56 |
| M-7 | 0.62 |
| M-8 | 0.60 |
| M-9 | 0.96 |
| M-10 | 0.87 |
| M-11 | 0.75 |
| M-12 | 5.33 |
| M-13 | 0.50 |
| Total | 26.51 |

| GREEN | |
|---|---|
| SR.NO | AREA IN ( SQ.MT) |
| G1 | 12071.120 |
| G2 | 31311.980 |
| G3 | 793.650 |
| G4 | 787.120 |
| G5 | 506.700 |
| G6 | 609.630 |
| G7 | 640.870 |
| G8 | 599.530 |
| G9 | 8696.580 |
| G10 | 611.450 |
| G11 | 873.600 |
| G12 | 677.350 |
| G13 | 585.800 |
| G14 | 506.700 |
| G15 | 593.91 |
| G16 | 543.69 |
| G17 | 532.620 |
| G18 | 522.830 |
| G19 | 671.110 |
| G20 | 854.750 |
| G21 | 7434.870 |
| G22 | 538.000 |
| G23 | 574.260 |
| G24 | 521.510 |
| G25 | 506.7 |
| G26 | 674.8 |
| G27 | 645.328 |
| G28 | 652.077 |
| G29 | 1590.430 |
| G30 | 8914.940 |
| G31 | 682.770 |
| G32 | 644.250 |
| G33 | 571.370 |
| G34 | 594.320 |
| G35 | 1350.130 |
| G36 | 1525.780 |
| G37 | 659.150 |
| G38 | 584.550 |
| G39 | 586.790 |
| G40 | 652.640 |
| G41 | 601.08 |
| G42 | 799.8 |
| G43 | 1590.43 |
| G44 | 890.8 |
| G45 | 510.494 |
| G46 | 503 |
| G47 | 579.1 |
| G48 | 583.57 |
| TOTAL | 98953.929 |

| TOTAL PROJECT AREA | 21437 ACRE | 91.61 HAC |
|---|---|---|
| DEDUCTIONS | | |
| AREA UNDER MASTER PLAN ROAD | 1437 ACRE | 5.73 HAC |
| NET PROJECT AREA | 21214 ACRE | 85.86 HAC |

DENSITY CALCULATION

Group housing

| | | |
|---|---|---|
| Area of Group housing | 86.86 Acre | 35.15 Hectare |
| Permissible Ground Coverage | 30% | |
| Permissible F.A.R. | 2.4 | |
| Permissible Density (P.D.) | 250 persons per hectare | 8800 persons/Hec. |
| Permissible units (U.D.) | 62.50 units per hectare | 2200 units/Hec. |
| Average Permissible density for (G.H.&EWS) | 250 persons per hectare | 8800 persons/Hec. |
| Maximum permissible units | | 3080 |
| Maximum Population (G.H.) persons (P) | | 4778 |

Plotted

| | | | |
|---|---|---|---|
| Area of Group housing | 128.55 Acre | 52.03 Hectare | |
| Permissible Ground Coverage | 50% | | |
| Permissible F.A.R. | 1.5 | | |
| Permissible density (P.D.) | 600 persons per hectare | 24720 persons/Hec. | |
| Permissible units (U.D.) | 150.00 units per hectare | 6180 units/Hec. | |
| Average Permissible density for (G.H.&EWS) | 600 persons per hectare | 24720 persons/Hec. | |
| Maximum permissible units | | 1287 | |
| Maximum Population (G.H.) persons (P) | | 4778 | |

Provision of EWS and LIG Units

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total permissible units (G.H.) and (P.) units | 3180 | 1435 | 4615 |
| | Required no. of U.S. | Provided no. | |
| EWS | 40 | 414 | 0.04% |
| LIG | 40 | 414 | 0.04% |
| Total Units | 800 | 828 | |

| Total Population | Pop.Of Group housing | Pop.Of EWS/LIG | Pop.Of Plotted | Total |
|---|---|---|---|---|
| | 4778 | 414 | 17520 | 22712 |

Density Achieved (Excluding EWS/LIG)

| Total Population - Population of EWS and LIG | Total Population | Pop.Of EWS/LIG | Pop.Of EWS/LIG |
|---|---|---|---|
| | 22712 | 414 | 22298 |
| Republic corridor app Area | | | 202.60 |
| Density Achieved | | acre | 200 persons/hec. |

PROVISION MADE AS PER BYE LAWS
EXCLUDING EWS/LIG POPULATION

| POPULATION | 30790 | |
|---|---|---|
| Facility | Required no. of Facilities | Provided no. of Facilities |
| Educational | | |
| Nursery | 12 | 12 |
| Primary | 6 | 6 |
| High School | 4 | 4 |
| Inter College | 3 | 3 |
| Health | | |
| Health center | 2 | 2 |
| Post Office | | |
| Sub post office | 3 | 3 |
| Telecommunication and others | | |
| Police Chowky with residence for | 2 | 2 |
| ESS 33 kva | 2 | 2 |
| Social and Cultural | | |
| Community center | 2 | 2 |

LAND USE DISTRIBUTION AS PER LAYOUT PLAN

| S.NO | DESCRIPTION | AREA IN SQ.MT. | IN ACRE | HAC. | % ACHIVED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESIDENTIAL AREA | | | | |
| | PLOTTED | 362041 | 89.58 | 36.25 | |
| | GROUP HOUSING | 86442 | 21.41 | 8.66 | |
| | EWS & LIG | 16386 | 4.06 | 1.64 | |
| | SUB TOTAL | 464869 | 115.03 | 46.57 | 54.53 |
| 2 | COMMERCIAL | | | | |
| | COMMERCIAL | 40241 | 9.94 | 4.03 | |
| | COMMERCIAL | 3455 | 0.90 | 0.37 | |
| | COMMERCIAL | 2921 | 0.69 | 0.28 | |
| | SUB TOTAL | 46618 | 11.54 | 4.67 | 5.44 |
| 3 | PUBLIC-SEMI PUBLIC FACILITY | | | | |
| | EDUCATIONAL | 32391 | 8.00 | 3.24 | |
| | HEALTH | 1630 | 0.40 | 0.16 | |
| | COMMUNITY | 4930 | 1.21 | 0.49 | |
| | 33 KVA ELECTRICAL SUBSTATION | 8014 | 2.00 | 0.81 | |
| | SUB POST OFFICE | 300 | 0.07 | 0.03 | |
| | POLICE CHOWKY | 3032 | 0.75 | 0.30 | |
| | S.T.P | 1109 | 0.28 | 0.11 | |
| | Garbage disposal | 760 | 0.19 | 0.09 | |
| | SUB TOTAL | 52168 | 12.88 | 5.24 | 6.07 |
| 4 | GREEN COVER | | | | |
| | PARKS & OPEN SPORTS CENTRES | 98914 | 24.43 | 9.90 | |
| | | 30000 | 7.41 | 3.00 | |
| | SUB TOTAL | 128914 | 31.84 | 12.90 | 15.00 |
| 5 | ROADS | | | | |
| | ROAD | 164281 | 40.57 | 16.28 | 19.12 |
| | TOTAL | 858850 | 212.16 | 85.86 | 100.00 |

| SPORTS CENTRE | |
|---|---|
| SR.NO | AREA IN ( SQ.MT) |
| 1 (G1) | 15000.000 |
| 2 (G2) | 15000.000 |
| TOTAL | 30000.000 |

PLOTS
- PLOT= 9m x 18m
- PLOT= 10m x 20m
- PLOT= 12m x 24m
- PLOT= 15m x 30m
- PLOT= 20m x 40m

Legend
- PROJECT BOUNDARY
- EXISTING PHYSICAL FEATURE
- H.T. LINE
- PROPOSED LAND USES
- GROUP HOUSING
- PLOTTED
- EWS/LIG
- COMMERCIAL
- PUBLIC SEMI PUBLIC
- GREEN/OPEN
- MORTGAGE LAND AREA

NOTE: 1. MEASUREMENT IN METER

| SETBACK DETAILS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl.No. | Plot Size in mt. | Area | Set Back in mt. | | | | No. of Plots |
| | | | Front | Rear | Side-1 | Side-2 | |
| 1 | 9.00x18.00 | 162.00 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 499 |
| 2 | 10.00x20.00 | 200.00 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 648 |
| 3 | 12.00x24.00 | 288.00 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 125 |
| 4 | 15.00x30.00 | 450.00 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 0.0 | 91 |
| 5 | 20.00x40.00 | 800.00 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 1.5 | 72 |
| | | | | | | | 1435 |

# GOMTI GREENS :

## AN INTEGRATED TOWNSHIP AT LUCKNOW.

NOTE:-
- Compensatory F.A.R against Master Plan Road shall be utilized in the project during the approval of building plans.

DATE- 01.01.2015 / 14.01.2015
SCALE- 1 : 1000
DEALT BY- AJIT SINGH
ARCHITECT- NIRLIPT VERMA
NORTH
CHECKED BY- NIRLIPT

OWNER:-
M/s EMAAR MGF LAND.LTD.
17-B ASAF ALI RD., NEW DELHI.

Architect Signature:
NIRLIPT MOHAN
B.ARCH-CA/97/21450